



प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चित्रकूट / बांदा / हमीरपुर / महोबा / जालौन / औरैया / इटावा ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2019

विषय- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि रु0 1000.00 करोड़ में से रु0 900.00 करोड़ की धनराशि भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-08/यूपीडा/08/147, दिनांक 03.04.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक ' '5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य' ' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु0 1000.00 करोड़ में से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों को यूपीडा के प्रस्तावानुसार भूमि क्रय मद में क्रमशः जिलाधिकारी, चित्रकूट को रु0 25.00 करोड़, जिलाधिकारी, बांदा को रु0 72.00 करोड़, जिलाधिकारी, हमीरपुर को रु0 104.00 करोड़, जिलाधिकारी, महोबा को रु0 282.00 करोड़, जिलाधिकारी, जालौन को रु0 222.00 करोड़, जिलाधिकारी, औरैया को रु0 110.00 करोड़ तथा जिलाधिकारी, इटावा को रु0 85.00 करोड़ अर्थात् कुल रु0 900.00 करोड़ (रु0 नौ सौ करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि आहरित करके संबंधित जिलाधिकारी के डिपॉजिट खाते में जमा की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण डिपॉजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
- (3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाये। अतः जिलाधिकारी से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट कर लेंगे।
- (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-

1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रु0 900.00 करोड़ (रूपये नौ सौ करोड़ मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक ' '5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-06-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-24-वृहद निर्माण कार्य' ' के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

अनिल कुमार

उप सचिव

संख्या-19/2019/759(1)/77-3-2019, तदिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चित्रकूट / बांदा / हमीरपुर / महोबा / जालौन / औरैया / इटावा।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार

उप सचिव